

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना- बरदह**एक अदद चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के क्रम में दिनांक 06.04.2021 को SI संजय सिंह मय हमराह HC योगेन्द्र यादव कान्स0 अभय प्रताप सिंह, कान्स0 रोहित कुमार प्राइवेट मोटर साइकिल से विनावर देखभाल क्षेत्र रोक थाम जुर्म जरायम पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित / संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन चेकिंग में मामूर होकर सराय मोहन होते हुए पसिका की ओर जा रहे थे। कि वादिल बाबा से आगे पुलिया पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया कि जैसे ही पुलिस बल उसके पास पहुंची कि पुलिस को देखकर पुलिया के नीचे जाने लगा। संदेह होने पर उस व्यक्ति को हमराह पुलिस बल के सहयोग से रोका गया तथा भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास नाजायज चाकू है। इस लिए आप लोगो को देखकर छिप रहा था। इस पर पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया। तो अपना नाम सुभाष सरोज पुत्र स्व0 सोचन सरोज निवासी ग्राम कम्मरपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामद चाकू रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा इस पर वरामद चाकू रखने के सम्बन्ध में 04/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध बता कर समय 22.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुभाष सरोज पुत्र स्व0 सोचन सरोज निवासी ग्राम कम्मरपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद चाकू

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 76/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SI संजय सिंह मय हमराह HC योगेन्द्र यादव कान्स0 अभय प्रताप सिंह, कान्स0 रोहित कुमार

**थाना- बरदह**एक पेटी (45 शीशी) शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.04.2021 को उ0नि0 शमशाद अली मय हमराह का0 अमरनाथ शर्मा बगरज देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध तलाश करते हुए बीकापुर पहुंचे कि मुखबीर खास आकर बताया कि लालचन्द के मकान के पास दो व्यक्ति शराब देशी बेच रहे हैं मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके मुखबिर को साथ लेकर प्राइवेट वाहन से लालचन्द के मकान की तरफ मकान से थोड़ा पहले मुखबिर ने इशारा किया कि सामने जो दो लोग खड़े हैं वही शराब बेच रहे हैं। तत्पश्चात मय उ0नि0 मय हमराह के प्राइवेट वाहन से आगे बढ़े और उन दोनों व्यक्तियों के सामने वाहन रोककर घेरकर एक व्यक्ति को समय करीब 21.20 बजे पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुनील राजभर पुत्र बरखू राजभर नि0 बीकापुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम विवेकानन्द राय उर्फ काजू राय पुत्र देवदत्त राय निवासी ग्राम बीकापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया तथा यह भी बताया कि हम दोनों देशी शराब बेच रहे थे कि आप लोगो को देखकर विवेकानन्द भाग गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से एक पेटी (45 शीशी) शराब बरामद हुई। इस पर पकड़े गये व्यक्ति से शराब रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा इस पर नाजायज शराब बेचने के सम्बन्ध में 60 आबकारी अधिनियम का दण्डनीय अपराध बताकर हिरासत पुलिस समय करीब 21.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील राजभर पुत्र बरखू राजभर नि0 बीकापुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

## बरामदगी

एक पेटी (45 शीशी) शराब

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 75/21 धारा 60 आब0अधि0

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शमशाद अली मय हमराह का0 अमरनाथ शर्मा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

### थाना बिलरियागंज

#### D- 43 गैंग का गैंग लीडर 01 अदद अवैध चाकू (चापड़) के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज द्वारा दिनांक 06.04.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र जांच भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भ्रमणशील होकर बिन्दवल बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मद्रासी उर्फ पप्पू जो D- 43 गैंग का गैंग लीडर हैं। जयराजपुर की तरफ से डा0 आफताब रोड पकड़े विन्दवल की तरफ आ रहा हैं उसके पास नाजायज चाकू हैं इस सूचना पर विश्वास कर कर्मचारीगण को मकसद बताते हुए मुखबीर के साथ वहा से प्रस्थान कर आफताब रोड मोड़ के पास विन्दवल जैगहा रोड पर पहुंचे कि एक व्यक्ति जैराजपुर की तरफ से पैदल आता हुआ दिखाई दिया कि मुखबिर इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस को देखकर आने वाला व्यक्ति तेज कदमों से वापस जाने लगा। कि पुलिस टीम ने उस व्यक्ति को घेर घार कर करीब 20 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मद्रासी उर्फ पप्पू पुत्र जुबैर निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया उम्र करीब 50 वर्ष उसकी जामा तलाशी में उसके पास से एक अदद चाकू (चापड़) लोहे का बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में कागजात मागा तो दिखाने से कासिर रहा। अपनी गलती का बार- बार माफी मांगते हुए बता रहा हैं कि साहब गलती हो गयी माफ कर दिजिये यह मैं अपने शौक के लिए रखा हूँ अभियुक्त मद्रासी उर्फ पप्पू पुत्र जुबैर सा0 जयराजपुर उपरोक्त थाना स्थानीय के जुबैर सा0 जयराजपुर उपरोक्त थाना स्थानीय के D-43 गैंग का गैंग लीडर हैं के कब्जे बरामद नाजायज एक अदद चाकू अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध का बोध कराकर समय करीब 14.10 हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मद्रासी उर्फ पप्पू पुत्र जुबैर निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

### बरामदगी-

01 अदद अवैध चाकू (चापड़)

### पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 64/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव ॥ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 3- हे0का0 गोविन्द यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- 4- हे0का0 मुहम्मद आफताब थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

### थाना बिलरियागंज

#### डी-43 गैंग का सदस्य 01 अदद अवैध चाकू (चापड़) के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज द्वारा दिनांक 06.04.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र जांच भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भ्रमणशील होकर जैराजपुर चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली गुड्डू पुत्र जुबैर जो डी-43 गैंग का सदस्य हैं। जगमलपुर की तरफ से जयराजपुर पैदल आ रहा हैं। उसके पास नाजायज चाकू हैं। इस सूचना पर विश्वास कर हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुये मय मुखबिर के जैराजपुर की से प्रस्थान कर जगमलपुर रोड के पास पहुँचे कि एक व्यक्ति जगमलपुर की तरफ से पैदल आदा दिखाई दिया मुखबिर इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस बल एक वारगी हिकमत अमली से जगमलपुर मोड़ से करीब 100 कदम पहले उस व्यक्ति को घेर घारकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम गुड्डू पुत्र जुबैर साकिन जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष बताया। उसके जामा तलाशी से एक अदद चाकू (चापड़) लोहे की बरामद हुआ। जिसके संबंध में कागजात तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा अपनी गलती की बार-

बार माँफी मांगते हुये बता रहा है कि इसे मैं अपने शौक के लिये रखता हूँ कारण गिरफ्तारी बताकर समय 13.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

गुड्डू पुत्र जुबेर साकिन जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-**

01 अदद अवैध चाकू (चापड़)।

**पंजीकृत अभियोग -**

मु0अ0सं0 63/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव। थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3- का0 अमरजीत थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4- का0 आनन्द कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5- म0का0 शिखा पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

6- म0का0 प्रतिभा चौहान थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**थाना गम्भीरपुर**

**एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा.315 बोर कारतुस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 0 6.04.2021 को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के दृष्टिगत चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी एन.वी.डब्लू अभियुक्तगण के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में उ.नि. सतीश कुमार यादव चौकी प्रभारी गंभीरपुर मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि मुखविर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अगनईया मोड़ के पास खड़ा है जो किसी घटना कारित करने के फिराक में है जो अपने पास एक असलहा अवैध लिये हुए है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर मुखविर के इशारे पर अगनईया मोड़ से एक व्यक्ति को समय करीब 18.10 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मुहम्मद कासिम S/O सिकन्दर निवासी चिवटही थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष बताया, पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी से एक अदद नाजायज देशी तमंचा . 315 बोर बरामद हुआ व एक अदद जिन्दा.315 बोर कारतुस बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 60/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

मुहम्मद कासिम S/O सिकन्दर निवासी चिवटही थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष

**बरामदगी**

एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा.315 बोर कारतुस

**पंजीकृत अभियोग**

मु.अ.स. 60/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गंभीरपुर आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़

उ.नि. सतीश कुमार यादव चौकी गंभीरपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़

हे.का. इरशाद अहमद चौकी गंभीरपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का. बृजेश शर्मा चौकी गंभीरपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का. ललित सरोज चौकी गंभीरपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का. जितेन्द्र कुमार चौकी गंभीरपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़

**थाना दीदारगंज**

**01 अदद अवैध चाकू (चापड़) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज व उ0नि0 अवधेश कुमार त्रिपाठी मय फोर्स के साथ दिनांक 07.04.2021 को तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूम जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र जांच भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भ्रमणशील थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज चाकू लेकर भोरमऊ की तरफ नहर पटरी पकड़कर आ रहा है और वह व्यक्ति सरायमीर की तरफ जायेगा। मुखबीर की बातों पर विश्वास कर तथा हमराही कर्मगण को मंशा बताकर उ.नि. मय हमराही मय मुखबीर के प्रस्थान कर अपने आपको छुपते छुपाते महुआरा नहर पुलिया के पहले पहुँचे कि एक व्यक्ति भोरमऊ की तरफ से नहर पटरी पकड़कर आते हुए दिखायी दिया कि उस व्यक्ति की तरफ मुखबीर इशारा करके हट बढ़ गया कि उ.नि. व मय हमराही कर्मचारीगण के आगे बढ़े कि वह व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर पिछे मुड़कर भागना चाहा कि करीब 10-15 कदम जाते जाते उस व्यक्ति को नहर पुलिया कुछ दूरी पर

ही नहर पटरी पर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पुछते भागने का कारण पुछा गया तो अपना नाम नजीउल्ला उर्फ नवीउल्ला पुत्र मुबारक अली निवासी चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया तथा बताया कि साहब मेरे पास नाजायज चाकू है पकड़े जाने के डर से भाग रहा था लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद चाकू वरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में कागजात मागा तो दिखाने से कासिर रहा। अभि० के कब्जे बरामद नाजायज एक अदद चाकू अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध का बोध कराकर समय करीब 06.00 हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

नजीउल्ला उर्फ नवीउल्ला पुत्र मुबारक अली निवासी चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़  
**बरामदगी-**

01 अदद अवैध चाकू (चापड़)

**पंजीकृत अभियोग -**

मु०अ०सं० 53/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- 2-उ०नि० अवधेश कुमार त्रिपाठी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- 3- हे०का० अपरबल सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- 4- का० अनूप कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**थाना- महाराजगंज**

**20 ली० अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार**

अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक** के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06-04-21 को उ०नि० राजेश प्रसाद मय हमराह सुनील कुमार सरोज के साथ रोकथाम जुर्म जरायम रोकथाम शराब अभियान में देवनपुर प्रेट्रोल पम्प में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की दो व्यक्ति कप्तानगंज की तरफ से महाराजगंज की तरफ अवैध शराब को लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उ०नि० मय हमराही मय मुखबीर के साथ उम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते मुरादपुर मोड़ के पास छिप गये। पुलिस टीम मय मुखबीर कप्तानगंज की तरफ से आने वाले व्यक्तियों का इंतजार करने लगे कुछ समय बाद दो व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिये, जब पुलिस टीम के नजदीक पहुँचे तो मुखबीर इशारा कर के हट बढ़ गया। पैदल आते हुए व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका गये पीछे मुड़कर भागने लगे, पुलिस टीम भागते हुए व्यक्तियों को एक बारगी घेर कर पकड़ लिये। पकड़े हुए व्यक्तियों से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम दिनेश गोड़ S/O बेचू गोड़ R/O गोरखपुर PS महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पकड़े गये व्यक्ति के दाहिने हाथ में लिए पिपिया के बारे में पूछा गया तो बताया कि इसमें 10 लीटर अवैध शराब है। दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दीपचन्द्र ठठेर S/O शिवप्रसाद R/O गांगी बाजार PS मनीमरा जनपद – महाराजगंज बताया दाहिने हाथ में जो पिपिया था उसके बारे में पूछा गया तो बताया इसमें 10 लीटर अवैध शराब है। हम लोग इसे बेचने जा रहे हैं तो आप लोगो ने इसे पकड़ लिया। इसी से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं पीपिया का ढक्कन खोलकर सुघां गया तो शराब जैसी गन्ध आ रही थी जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया तथा आरोपियों को अन्तर्गत धारा 60 Ex Act का अपराध बताकर समय करीब 20.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. दिनेश गोड़ S/O बेचू गोड़ सा० गोरखपुर जनपद आजमगढ़
2. दीपचन्द्र ठठेर S/O शिवप्रसाद R/O गांगी बाजार PS मनीमरा जनपद – महाराजगंज

**बरामदगी**

20 ली० अवैध शराब

**पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०सं० 112/2021 धारा 60 Ex. Act

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

SHO प्र०नि० गजानन्द चौबे मय हमराह उ०नि० राजेश प्रसाद मय हमराह सुनील कुमार सरोज

**थाना- महाराजगंज**

**20 ली० अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार**

दिनांक 06.04.21 को उ० नि० देवनाथ यादव मय हमराह का० विनय प्रसाद का० कलामुदीन ईगल मोबाईल के साथ रोक थाम जर्म जरायम रोक थाम शराब अभियान में भैरोदासपुर पुलिया पर मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति राजेसुल्तानपुर

की तरफ से भैरोदासपुर पुलिस की तरफ अवैध शराब को लेकर आ रहे है। शीघ्रता किया जाय तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराही मय मुखबीर के साथ उमीद गिरफ्तारी पुलिस के आड में छुप गये, पुलिस टीम मय मुखबीर आने वाले व्यक्तियों का इन्तजार करने लगे कुछ समय बाद दो व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिये जब पुलिस के नजदीक पहुंचे तो मुखबीर इशारा करके हट बढ़ गया, पैदल आते हुए व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका गये पीछे मुड़ कर भागने लगे। पुलिस टीम भागते हुए व्यक्तियों को एक वारगी पाँच कदम पर दूरी पर पकड़ लिए। पकड़े हुए व्यक्तियों से जमा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम रामकिशुन निषाद S/O स्व0 जयराम निषाद ग्रा0 उसरकुढ़वा थाना - महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पकड़े गये व्यक्ति के दाहिने हाथ में लिए पीपीया के वारे में पूछा गया तो बताया कि 10 लीटर अवैध शराब है दुसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मनोज शर्मा S/O रामजी शर्मा ग्रा. करमहाडिंगुपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया दाहिने हाथ में पीपीया लिया था उसके वारे में पूछा गया तो बताया कि इसमें 10 लीटर कच्ची शराब है हम लोग इसे बेचने जा रहे है तो आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया, इसी से अपने बच्चो का जीवन यापन करते है। पीपीया के ढक्कन खोल कर सुघा गया तो शराब जैसी गंध आ रही थी इसे कब्जा पुलिस में लिया गया तथा आरोपीयो को अन्तर्गत धारा 60 EXI – ACT का अपराध बताकर समय 19.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### बरामदगी

20 ली0 अवैध शराब

### गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामकिशुन निषाद S/O स्व0 जयराम निषाद ग्रा0 उसरकुढ़वा थाना - महाराजगंज जनपद आजमगढ़,
2. मनोज शर्मा S/O रामजी शर्मा ग्रा. करमहाडिंगुपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 111/2021 धारा 60 Ex. Act

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह उ0 नि0 देवनाथ यादव मय हमराह का0 विनय प्रसाद का0 कलामुदीन ईगल मोबाईल

### थाना- मेहनगर

## 01 अदद तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस आधिक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र0नि0 सुनील चन्द तिवारी के निर्देशन उ0नि0 शिवप्रसाद मिश्र मय हमराह उ0नि0 मो0 आसिफ मय हमराह का0 शैलेश सिंह का0 संदीप शर्मा का0 दिवाकर यादव के थाना हाजा से रवाना होकर ब्लाक मेहनगर मोड़ पर पुलिस पर अपराध व अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि ब्लाक की तरफ से पैदल आ रहा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा शक होने पर दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 8.30 बजे रात्रि में पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम अम्बुजा शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा सा0 गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बताया जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से 01अदद तमंचा 12 बोर व 02अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

अम्बुजा शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा सा0 गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

## बरामदगी-

01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

## पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 58/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवप्रसाद मिश्र, उ0नि0 मो0 आसिफ, मय हमराह फोर्स

### थाना- मेहनगर

### 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र0नि0 सुनील चन्द तिवारी के निर्देशन उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह हे0का0 अशोक सिंह का0 धूपसागरके चौकी सिंह देखभाल क्षेत्र में जाँच प्रा0पत्र पेन्डिंग विवेचना अहकमात तलाश वांछित/संदिग्ध व्यक्ति में मामूर थे की जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध नाजायज असलहा लेकर सेर्रा पुलिया पर खड़ा है और कहीं अपराध करने की फिराक में है। कि सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त अली मुर्तजा उर्फ बाबूल पुत्र स्व0 मुस्ताक सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को आवश्यक बल प्रयोग कर सेर्रा पुलिया पर ही समय करीब 6.10 बजे सुबह पकड़ लिया गया। अभियुक्त अली मुर्तजा उर्फ बाबूल की जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से 01 अदद देशी कट्टा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को उसके जुर्रम से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

अली मुर्तजा उर्फ बाबूल पुत्र स्व0 मुस्ताक सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

### बरामदगी-

01 अदद देशी कट्टा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

## पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 59/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 101/10 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11पशु कुरता नि0अधि0 थाना तरवाँ
2. मु0अ0सं0 216/11 धारा 376 भादवि थाना मेहनगर
3. मु0अ0सं0 654/07 धारा 3/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु कुरता नि0अधि0 व 41/411 भादवि थाना मेहनगर
4. मु0अ0सं0 59/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह हे0का0 अशोक सिंह, का0 धूपसागर

### थाना- कप्तानगंज

### 10 लीटर अवैध शराब व एक अदद चाकू नाजायज के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 6.04.2021 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु देखभाल क्षेत्र व दबिश में मामूर होकर मुखबीरी सूचना के आधार पर उ0नि0 रमेश कुमार पटेल थाना कप्तानगंज मयहमराह कर्मचारीगण केसाथ सूचना पर विश्वास करके अभियुक्त दिनेश राय पुत्र शिवशंकर राय ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम ओरा विजली सब स्टेशन के पास से अभियुक्त के पास से 10 लीटर अवैध शराब व एक अदद अवैध चाकू की बरामदगी के आधार पर कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक समय 17.30 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

दिनेश राय पुत्र शिवशंकर राय ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-**

एक जरकीन में 10 लीटर अबैध शराब व एक अदद चाकू नाजायज ।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 49/21 धारा 60 आबकारी अधि0, व मु0अ0सं0 50/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –**

1. उ थाना कप्तानगंज (चौकी बड़सरा खालसा0प्र) रमेश कुमार पटेल 0नि0
2. का शैलेश यादव 0
3. का आकाश वर्मा 0

**थाना- कप्तानगंज**

आज दिनांक 07.04.2021 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु देखभाल क्षेत्र व दबिश तथा त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के मद्देनजर देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर मुखबीरी सूचना के आधार पर प्र0नि0 देवानन्द थाना कप्तानगंज मय हमराह कर्मचारीगण के साथ सूचना पर विश्वास करके अभियुक्त **मेवालाल शर्मा पुत्र छेदी शर्मा ग्राम भीतेहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़** को ग्राम कौड़िया बाजार के पास से अभियुक्त के पास से एक अदद अबैध लोहे का चाकू की बरामदगी के आधार पर कारण गिरफ्तारी बताकर समय 10.10 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

मेवालाल शर्मा पुत्र छेदी शर्मा ग्राम भीतेहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-**

एक अदद लोहे का चाकू नाजायज ।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 51/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –**

1. प्र देवानन्द थाना कप्तानगंज 0नि0
2. हेरामअशीष राय 0का0
3. का सुजीत सिंह 0
4. का दिनेश यादव 0

**थाना महाराजगंज**

**01 अदद तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 नफर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार**

आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध असलहा रखने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज गजानन्द चौबे के निर्देशन में आज दिनांक 07.04.21 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह के तलाश वांछित/वारंटी, रोकथाम जुर्म जरायम के दृष्टिगत देखभाल क्षेत्र, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत परशुरामपुर बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के गोपालपुर हाईडिल के पास से थाना स्थानीय के हिस्ट्रीशीटर अपराधी बलराम यादव पुत्र सुन्नर यादव साकिन गोपालपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ को एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया, तथा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 113/21 धारा 3/25 A.ACT का अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

**HS 84 A** बलराम यादव पुत्र सुन्नर यादव साकिन गोपालपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़

## बरामदगी

01अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

### अपराधिक इतिहास

1. मु242 0सं0अ0/323 धारा 2000,504, 506IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़
2. मु99 0सं0अ0/392 धारा 1999IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़
3. मु110 0सं0अ0/302 धारा 2001,504,506, 341IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़
4. मु89 0सं0अ0/3 धारा 2001(1) गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना महाराजगंज आजमगढ़
5. NCR No .212/20 धारा 323,504 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़
6. मु113 0सं0अ0/3 धारा 21/ 25A.ACT थाना महाराजगंज आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. SHO गजानन्द चौबे
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव
3. हे0का0 दिनेशचन्द यादव
4. का0 सुबाष यादव

### थाना- महाराजगंज

### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

महिला सम्बन्धित संगीन अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आमजगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.21 को निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्या मय हमराह थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी , चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन , क्षेत्र गस्त तथा पेंडिंग विवेचना मु0अ0सं0 107/2021 धारा 354 , 452 506 IPC व 66 D IT ACT में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 107/2021 धारा 354 , 452 506 IPC व 66 D IT ACT से सम्बन्धित अभियुक्त शाह आलम S/O ऐनुद्दिन ग्राम जुड़ाखुर्द थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, वादिनी द्वारा मुकदमा थाना स्थानीय पर लिखाये जाने के कारण वादिनी के घर वालो के साथ आमदा फौजदारी है तथा मुकदमे में सुलह करने हेतु उनपर दबाव बना रहा है तथा कह रहा है कि यदि मुकदमे में सुलह नही करोगे तो इससे भी बड़ी घटना करूंगा और पुलिस मुझे पकड़ भी नही पायेगी। मुखबीर खास की सूचना पर निरीक्षक तत्काल कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते जुड़ाखुर्द आये जहाँ पर एक व्यक्ति वादिनी मुकदमा/पीड़िता के घर के सामने ललकारते दिखाई दिया। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया पुलिस टीम द्वारा उक्त ललकारते व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम शाह आलम S/O ऐनुद्दिन ग्राम जुड़ाखुर्द थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया , पकड़ा गया आरोपी मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 354 , 452 506 IPC व 66 D IT ACT का वांछित अभियुक्त है। चूकि महिला सम्बन्धी अपराध होने व अन्य संज्ञेय अपराध पुनः कारित न होने के दृष्टिगत उपरोक्त अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 08.32 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 107/2021 धारा 354, 452 506 IPC व 66 D IT ACT

### गिरफ्तार अभियुक्त

1. शाह आलम S/O ऐनुद्दिन ग्राम जुड़ाखुर्द थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे मय निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्या मय हमराह का0 राकेश यादव व का0 अरविन्द यादव

### थाना जहानागंज

#### अवैध तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 6.04.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब, अवैध शस्त्र तथा वांछित अभियुक्तगणों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र सेम्मूल अहमद सा0 संघईपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ को कोल्हूखोर पुलिस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से समय करीब 18.05 बजे एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रियाज अहमद पुत्र सेम्मूल अहमद सा0 संघईपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़

#### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-73/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट

#### बरामदगी:-

एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
- 2- हे0का0 अवधेश प्रसाद
3. का0 विपिन कुमार पाण्डेय

### थाना-रौनापार

#### 40 लीटर अप-मिश्रित जहरीली कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ06 रामजीत द्वारा दिनांक 0नि0.04. को ग्राम 2021 आराजी अजगरा मगर्वीके पास से समय करीब 21.) बजे दो नफर अभियुक्तगण क्रमशः 201) रमेश पासी (2 0 राजेश पासी पुत्रगण रेखालाल सा ( मिश्रित जहरीली कच्ची- लीटर अप 40 आराजी अजगरा मगर्वीथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को 2 ग्राम यूरिया 200 शराब व फिटकरीkg नौसादर ग्राम व एक अदद तीन एक अदद भदेली के साथ 200 गिरफ्तार कर उक्त के सम्बन्ध में मु 62 0सं0अ0/60 धारा 2021(1)/ आबकारी अधिनियम पंजीकृत 63 कर जेल भेजा गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- (1) रमेश पासी पुत्र रेखालाल साआराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0
- (2) राजेश पासी पुत्र रेखालाल सा0 आराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

#### बरामदगी-

2 ग्राम यूरिया 200 मिश्रित जहरीली कच्ची शराब व फिटकरी-लीटर अप 40kg नौसादर ग्राम व 200 एक अदद तीन एक अदद भदेली

#### पंजीकृत अभियोग-

मु62 0सं0अ0/60 धारा 2021(1)/आबकारी अधिनियमथाना रौनापार आजमगढ़। 63

#### आपराधिक इतिहास-

1. मु62 0सं0अ0/60 धारा 2021(1)/आबकारी अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 63
2. मु18 0सं0अ0/आबकारी अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 60 धारा 19
3. मु18 0सं0अ0/आबकारी अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 60 धारा 21

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रामजीत थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. हेरामकेवल यादवथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0का0
3. हेदीपक कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0का0
4. कासिकन्दर यादवथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0

### थाना निजामाबाद

#### अवैध चाकू के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अबैध असलहा/चाकू रखने व तस्करी करने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति फरिहां की तरफ से निजामाबाद तरफ अवैध लेकर आ रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराहीयान द्वारा बाईपास तिराहे पर पहुच कर चेकिंग किया गया तो दौराने चेकिंग फरिहां की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को रोक कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम डिम्पी उर्फ शफीक पुत्र सुकुरुल्लाह सा0 फरिहां थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद चाकू बरामद हुआ । जिसको गिरफ्तार कर मा0न्यायालय चालान किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

डिम्पी उर्फ शफीक पुत्र सुकुरुल्लाह सा0 फरिहां थाना निजामाबाद आजमगढ़

#### बरामदगी-

एक चाकू नाजायाज

#### पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 69/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आमजगढ़